>

Title: Disparity in 6th pay commission for employees of State Forest Services in Andaman Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं आपसे खास कर अनुरोध करता हूं, हमारे अंडमान और निकोबार के दो अम्बेसेडर यहां बैठे हैं - श्री पवन कुमार बंसल जी और श्री नारायणसामी जी। मैं अंडमान और निकोबार का एमपी हूं, किसी डिस्ट्रिक्ट का एम.पी. नहीं हूं। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह ऐसा फोरेस्ट है, जो भारत के लिए ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के लिए एसेट है। उस फोरेस्ट में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो स्टेट फोरेस्ट सर्विस में एससीएफ हैं, वे लोग करीब-करीब 26 साल से काम कर रहे हैं। कोई-कोई एससीएफ करीब पांच साल से डीएफओ पद में वन विभाग में काम कर रहा है। उनके साथ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे-कमीशन में इनजस्टिस किया गया।

सरकार कहती है कि जो एससीएफ है, वह डिपार्टमेंट पुलिस के डीएसपी के रैंक के बराबर है। ऑल इंडिया फोरेस्ट सर्विसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका टाइम स्केल के मुताबिक हर चार साल बाद प्रमोशन होता है और उन्हें फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे-कमीशन का बेनिफिट भी मिला है। इस परिणामस्वरूप अंडमान फोरेस्ट सर्विसेस में जो लोग काम करते हैं, एससीएफ, स्टेट फोरेस्ट सर्विस में बीस साल काम करने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं होता और न ही उन्हें कोई बेनिफिट फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे-कमीशन में मिला है। इसलिए उनके दिल और मन में बड़ी चुभन शुरु हो गई है। इसी मुताबिक अपने प्रशासन अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में स्टेट फोरेस्ट सर्विस एसोसिएशन एनोमली कमेटी में गया था, अंडमान-निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी तकलीफ को देखते हुए, उनके अधिकार को ठीक समझते हुए एनोमली कमेटी ने रिकोमेंडेशन भारत सरकार को भेजी। उन रिकोमेंडेशंस को मान कर उसे मिनिस्ट्री ऑफ फोरेस्ट में भेजा ताकि उन्हें उनके बराबर पे-स्केल 1 जनवरी, 2006 से मिले। सिक्स्थ पे-कमीशन में जो डिस्पेरिटी है, उसे दूर किया जाए।

सभापति महोदय, मेरी आखिरी एक और मांग है कि जो आईएफएस भारत के विभिन्न प्रांतों से आते हैं, अंडमान में जो स्टेट फोरेस्ट सर्विसेस के अधिकारी हैं, उन्हें इंडियन फोरेस्ट सर्विसेस के अधिकारी के समान पैरिटी मिले। मैं फिर से अनुरोध करूंगा, हमारे दो-दो अम्बेसेडर यहां बैठे हैं, बंसल जी और नारायणसामी जी, कृपा करके इस बात को सरकार के पास पहुंचाएं। इस बारे में मैंने संबंधित मंत्री जी से मुलाकात भी कर ली है और उनसे बात भी की है और उन्हें पत्र भी दिया है। मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि आप मेरी बात को उन तक पहुंचा दें।

सभापति महोदय : आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया।

श्री विष्णु पद राय : नारायणसामी जी, आपने कुछ बोला नहीं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): मैंने आपकी पूरी बात सुनी है।